अनुदान संख्या 41 - राजस्व विभाग
GRANT No. 41 - DEPARTMENT OF REVENUE

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
प्रभारित–	*Charged–*			*2,00*	..	*-2,00*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*2,00*
स्वीकृत–	Voted–					
मूल	Original	1167,03,00				
				1167,05,00	795,52,06	-371,52,94
पूरक	Supplementary	2,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					361,49,27
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted–					
मूल	Original	11,54,00				
				11,55,00	6,86,10	-4,68,90
पूरक	Supplementary	1,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					4,66,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, *₹2.00 लाख* का *विनियोग* एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा और इसे अंतत: अभ्यर्पित कर दिया गया।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ :-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of *₹2.00 lakhs* remained wholly unutilised under one head and was eventually surrendered.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving- (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2052" सचिवालय - सामान्य सेवाएं	Major Head "2052" Secretariat-General Services				
मू.	O.	16174.00	13690.32	13430.13	-260.19
पु.	R.	-2483.68			
मुख्य शीर्ष "2047" अन्य राजकोषीय सेवाएं	Major Head "2047" Other Fiscal Services				
मू.	O.	8224.00	8700.16	8499.56	-200.60
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	475.16			
मुख्य शीर्ष "2070" अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Major Head "2070" Other Administrative Services				
मू.	O.	4246.00	3529.25	3395.72	-133.53
पु.	R.	-716.75			
मुख्य शीर्ष "2875" अन्य उद्योग	Major Head "2875" Other Industries				
मू.	O.	38019.00	44493.00	44103.46	-389.54
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	6473.00			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	49500.00	9807.00	9807.00	..
पु.	R.	-39693.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3602" संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments				
मू.	O.	500.00	300.00	300.00	..
पु.	R.	-200.00			

(I) ₹38242.15 लाख का प्रावधान पांच शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹38100.00 लाख मुख्य शीर्ष "3601" - "योजनेतर अनुदान - संसाधनों में अंतर को पूरा करना के लिए अनुदान" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of ₹38242.15 lakhs remained wholly unutilised under five heads; of these ₹38100.00 lakhs accounted for under Major Head "3601" – "Non-Plan Grants – Grants to cover Gap in Resources" – under the following heads:-

(का) "वैट लागू होने के कारण हुई राजस्व हानि के लिए राज्यों को क्षतिपूर्ति" - ₹8100.00 लाख राज्य सरकारों को मूल्यवर्धित कर क्षतिपूर्ति जारी न किए जाने के कारण थे।

(A) "Compensation to States for Revenue loss due to introduction of VAT" – ₹8100.00 lakhs – due to non-release of Value Added Tax compensation to the State Governments.

(खा) "राज्य सरकारों को केंद्रीय बिक्री कर के चरणबद्ध तरीके से खत्म करने पर हुए राजस्व हानि के लिए क्षतिपूर्ति" - ₹30000.00 लाख राज्य सरकारों को केंद्रीय बिक्री कर जारी न किए जाने के कारण थे।

(B) "Compensation to State Governments for Revenue loss due to phasing out of CST" – ₹30000.00 lakhs – due to non-release of Central Sales Tax compensation to the State Governments.

(II) मुख्य शीर्ष "2052" - "सचिवालय" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under Major Head "2052"- "Secretariat" – savings occurred under the following heads:-

(का) "राजस्व विभाग" - ₹987.68 लाख की बचत (₹14344.77 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, नियम पुस्तिकाएं/प्रपत्रों के मुद्रण, स्थायी काउन्सेल/परामर्शदाताओं के शुल्क के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(A) "Department of Revenue" – saving of ₹987.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14344.77 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, requirement of less funds towards printing of manuals/forms, fees to Standing Counsels/consultants and economy measures.

(खा) "समुद्रपार आयकर इकाई"- ₹1754.35 लाख की बचत (₹1820.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

(B) "Income tax overseas units" – saving of ₹1754.35 lakhs (against the sanctioned provision of

समुद्रपार इकाई के चालू न होने, रिक्त पदों के न भरे जाने, कम चिकित्सा दावे प्राप्त होने और किराया संशोधन मामले को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

₹1820.00 lakhs) was due to non-opening of overseas unit, non-filling up of vacant posts, receipt of less medical claims and non-finalisation of rent revision case.

(III) मुख्य शीर्ष "2047" - "विदेशी मुद्रा विनिमयन - प्रवर्तन निदेशालय" के अंतर्गत ₹848.28 लाख की बचत (₹5380.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, कार्यालय आवास को किराए पर न लिए जाने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "2047" – "Regulation of Foreign Exchange – Enforcement Directorate"– saving of ₹848.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5380.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-hiring of official accommodation.

(IV) मुख्य शीर्ष "2070" - "स्वापक नियंत्रण" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(IV) Under Major Head "2070" – "Narcotics Control" – savings occurred under the following heads:-

(का) "केंद्रीय स्वापक ब्यूरो" - ₹462.19 लाख की बचत (₹3591.70 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, कार्यालय आवास किराए पर न लिए जाने, चिकित्सा दावे कम प्राप्त होने, विधि परिषद को कम अदायगी किए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(A) "Central Bureau of Narcotics" saving of ₹462.19 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3591.70 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-hiring of office accommodation, receipt of less medical claims, less payment to legal council and economy measures.

(खा) "नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर नियंत्रण पर व्यय" - ₹163.47 लाख की बचत (₹200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) गैर सरकारी संगठनों और राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(B) "Expenditure on Control of Drug Abuse" - saving of ₹163.47 lakhs (against the sanctioned provision of ₹200.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals from Non-Governmental Organisations and State Governments.

(V) मुख्य शीर्ष "2875" - "अफीम एवं अल्केलाइड उद्योग - गाजीपुर अफीम फैक्टरी" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(V) Under Major Head "2875" - "Opium and Alkaloid Industries - Ghazipur Opium Factory" – savings occurred under the following heads;-

(का) "अफीम की खरीद" - ₹199.41 लाख की बचत (₹3000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अफीम की खरीद के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(A) "Purchase of Opium" - saving of ₹199.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3000.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards purchase of Opium.

(खा) "अन्य व्यय" - ₹148.39 लाख की बचत (₹273.61 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूंजी में कमी की वजह से पूंजी पर कम ब्याज लगाए जाने के कारण हुई।

(B) "Other Expenditure" - saving of ₹148.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹273.61 lakhs) was due to less interest charged on the Capital owing to reduction in Capital.

(VI) मुख्य शीर्ष "3601" - "योजनेतर अनुदान - अन्य प्रशासनिक सेवाएं - राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय अधिनियम और विनियमों के प्रशासन के लिए अदायगी - वैट संबंधित व्यय के लिए राज्यों को अनुदान" - ₹1593.00 लाख की बचत (₹11400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों द्वारा एमएमपी-सीटी परियोजनाएं लागू किए जाने की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(VII) मुख्य शीर्ष "3602" - "योजनेतर अनुदान - अन्य प्रशासनिक सेवाएं - राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय अधिनियम और विनियमों के प्रशासन के लिए अदायगी - संघ राज्य क्षेत्रों को वैट संबंधित व्यय के लिए अनुदान" - ₹200.00 लाख की बचत (₹500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एमएमपी-सीटी परियोजना के अंतर्गत निधीयन के लिए संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(VIII) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹95.23 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 63 प्रतिशत थी।

3. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹7863.65 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि दिसंबर, 2012 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(I) मुख्य शीर्ष "2047" -

(का) "सामान और सेवा कर तंत्र के लिए विशेष प्रयोजन वाहन - जीएसटीएन: एसपीवी को अनुदान" - ₹99.00 लाख।

(खा) "अन्य व्यय - राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान को अनुदान" - ₹1015.00 लाख।

(VI) Under Major Head "3601" - "Non-Plan Grants – Other Administrative Services - Payments to States/UTs for Administration of Central Act and Regulations - Grants to States for VAT related expenditure" - saving of ₹1593.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11400.00 lakhs) was due to slow progress in implementation of MMP – CT Projects by the State Governments.

(VII) Under Major Head "3602" - "Non-Plan Grants – Other Administrative Services - Payments to States/UTs for Administration of Central Act and Regulations - Grants to UTs for VAT related expenditure" - saving of ₹200.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals from the UT Administrations for funding under the MMP-CT Project.

(VIII) Under one head saving of ₹95.23 lakhs occurred constituting 63 percent of the sanctioned provision.

3. The above savings were partly (₹7863.65 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs in December, 2012 under the following major heads:-

(I) Major Head "2047"-

(A) "Special Purpose Vehicle for Goods and Service Tax Network – Grant to GSTN:SPV" – ₹99.00 lakhs.

(B) "Other Expenditure – Grants to National Institute of Public Finance and Policy" – ₹1015.00 lakhs.

(I) मुख्य शीर्ष "2875" - "अफीम और अल्केलायड उद्योग" -

(का) "गाजीपुर अफीम फैक्टरी - प्रबंधन" - ₹157.79 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹170.47 लाख था।

(खा) "नीमच अफीम फैक्टरी" -

(क) "अफीम की खरीद" - ₹432.13 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹416.61 लाख था।

(ख) "अन्य व्यय" - ₹85.60 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹84.18 लाख था।

(गा) "गाजीपुर अल्केलायड वर्क्स" -

(क) "प्रबंधन" - ₹1957.64 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹1918.80 लाख था।

(ख) "अन्य व्यय" - ₹604.11 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹424.92 लाख था।

(घा) "नीमच अल्केलायड वर्क्स" -

(क) "प्रबंधन" - ₹2974.38 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹2882.03 लाख था।

(ख) "अन्य व्यय" - ₹538.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹537.94 लाख था।

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

(II) Major Head "2875" - "Opium and Alkaloid Industries" –

(A) "Ghazipur Opium Factory – Management" – ₹157.79 lakhs. Actual excess, however, was ₹170.47 lakhs.

(B) "Neemuch Opium Factory" –

(a) "Purchase of Opium" – ₹432.13 lakhs. Actual excess, however, was ₹416.61 lakhs.

(b) "Other Expenditure" – ₹85.60 lakhs. Actual excess, however, was ₹84.18 lakhs.

(C) "Ghazipur Alkaloid Works" –

(a) "Management" – ₹1957.64 lakhs. Actual excess, however, was ₹1918.80 lakhs.

(b) "Other Expenditure" – ₹604.11 lakhs. Actual excess, however, was ₹424.92 lakhs.

(D) "Neemuch Alkaloid Works" –

(a) "Management" – ₹2974.38 lakhs. Actual excess, however, was ₹2882.03 lakhs.

(b) "Other Expenditure" – ₹538.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹537.94 lakhs.

4. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving- (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4047" अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4047" Capital Outlay on Other Fiscal Services				
पू.	S.	1.00	245.00	245.00	..
पु.	R.	244.00			
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	1000.00	439.00	438.57	-0.43
पु.	R.	-561.00			

(I) ₹149.00 लाख का प्रावधान छह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹149.00 lakhs remained wholly unutilised under six heads.

(II) मुख्य शीर्ष "4059" - "अन्य भवन - निर्माण - राजस्व भवन का निर्माण" - ₹561.43 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राजस्व भवन के निर्माण की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4059" – "Other Buildings – Constructions – Construction of Rajaswa Bhawan" – saving of ₹561.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to slow pace of construction of Rajaswa Bhawan.

5. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹244.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "4047" - "सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - जीएसटीएन : एसपीवी में निवेश" के अंतर्गत दिसंबर, 2012 में ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

5. The above savings were partly (₹244.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in December, 2012 under Major Head "4047" – "Investment in Public Sector and Other Undertakings – Investment in GSTN: SPV".

6. ***मूल्यह्रास आरक्षित निधि - अफीम तथा अल्केलायड फैक्टरियां:-***

6. ***Depreciation Reserve Fund – Opium and Alkaloid Factories:-***

ये निधियां 1970-71 में एल्केलाइड फैक्टरियों की अचत परिसंपतियों पर मूल्याहास लगाने की वाणिज्यिक पद्धति को प्रवर्तित करने के लिए गठित की गई थीं। वर्ष के दौरान प्रत्येक फैक्टरी की परिसंपत्तियों के मूल्य पर परिकलित किया गया मूल्यहास इन निधियों में इस अनुदान में प्रतिपक्षी नामे द्वारा जमा किया जाता है। निधि के शेषों पर समय-समय पर लगाया गया ब्याज भी इन निधियों में इस अनुदान में प्रतिपक्षी नामे द्वारा जमा किया जाता है।

These funds were constituted in 1970-71 for introducing the commercial practice of charging depreciation on fixed assets of the Alkaloid Factories. Depreciation calculated on the value of assets used in each factory during the year is credited to these funds by per contra debit to this grant. Interest on the fund balances from time to time is also credited to these funds by per contra debit to this grant.

वर्ष 2012-13 के लिए मूल्याहास आरक्षित निधियों का लेखा निम्न प्रकार से था:-

The Account of Depreciation Reserve Fund for 2012-2013 was as follows:-

		गाजीपुर **Ghazipur**		नीमच **Neemuch**	
		अफीम फैक्टरी Opium Factory	**एल्केलाइड कार्य Alkaloid Works**	**अफीम फैक्टरी Opium Factory**	**एल्केलाइड कार्य Alkaloid Works**
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
अथ शेष	Opening Balance	*8,88,78	*9,24,24	5,03,60	16,19,96
प्राप्तियां	Receipts	25,67	52,28	25,00	70,00
जमा किया गया ब्याज	Interest Credited	29,19	22,51	24,22	69,25
अदायगियां	Payments	..	..	..	..
अंत शेष	Closing Balances	*9,43,64	*9,99,03	5,52,82	17,59,21

*अथ शेष पिछले वर्ष के अंत शेष से वित्त लेखों के समाधान के कारण भिन्न है।

*Opening balance differ from last year's closing balance due to reconciliation with Finance Accounts.